



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)  
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित  
Certified with ISO 9001:2015



क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)  
तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008  
3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> Floor, Rajendra Bhawan  
Rajendra Place, New Delhi - 110008  
Phone: 011-25734381, 25745044 Email : rd-delhi@esic.nic.in  
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

फा.स.11-जैड/11/11/1/2022-प्रशासन शाखा-1

13-03-2025

## परिपत्र

विषय:- एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल में आवासीय पते को अपडेट करने हेतु।

यह देखा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के ग्रुप-सी मिनीस्टीरियल स्टाफ एचआरएमएस मॉड्यूल में अपने वर्तमान आवासीय पते को अपडेट नहीं कर रहे हैं। नतीजतन, इस कार्यालय को स्थानांतरण के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आवासीय पतों को ईआरपी मॉड्यूल से सत्यापित किया जाता है। गलत या पुराने पते के कारण कर्मचारियों को कभी-कभी दूर के स्थानों पर तैनात कर दिया जाता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर सभी कर्मचारियों को 31.03.2025 तक बिना किसी देरी के एचआरएमएस मॉड्यूल में अपने वर्तमान आवासीय पते को अपडेट करने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा, भविष्य में आवासीय पते में कोई भी बदलाव तुरंत सिस्टम में अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि डेटा की सटीकता सुनिश्चित की जा सके और ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई रुकावट न हो।

इसके अतिरिक्त, सभी नियंत्रण इकाइयों को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित कर्मचारियों के आवासीय विवरणों को सत्यापित करें और 07.04.2025 तक इस कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जो कर्मचारी अपने आवासीय विवरणों को अपडेट करने में विफल रहते हैं, वे अपने स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस मामले में किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा।

**RAJSHEKHAR SINGH**  
**DEPUTY DIRECTOR**

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/ सहायक निदेशक- उप क्षेत्रीय कार्यालय रोहिणी/ ओखला/ नंदनगरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. सभी शाखा अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली को इस अनुरोध के साथ की यह सूचना अपने कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

- 3 . शाखा प्रबन्धक- मायापुरी/किशनगज/मोरोगेट/कम्पेपुरा।
3. आई टी शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
4. सूचना पट्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली।